विज्ञप्ति

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा

विज्ञापन संख्या– /स0क0/आ0प0वि0–संचालन/संविदा भर्ती/2015–16
गोण्डा दिनांक अगस्त , 2015
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि : **11 सितम्बर 2015 सायं: 05:00 बजे शाम तक।**

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले आश्रम पद्वति विद्यालय अधोलिखित सूची के अनुसार निम्नलिखित रिक्त पदों को दिनांकः 26.06.2016 (11माह 29 दिन) तक अथवा नियमित नियुक्ति तक (जो भी पहले घटित हो) संविदा के आधार पर भरे जाने के लिए भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

रिक्तियों का विवरण :–

क्र. सं.	पदनाम	रिक्तियों की संख्या					संविदा राशि	आयु सीमा (वर्ष)		अर्हता
		कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	प्रधानाचार्य						रू0 16000/– (मासिक संविदा पर) अथवा शासन द्वारा निर्धारित दर		68	इन पदों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इण्टरमीडिएट स्तरीय (अशासकीय सहायता प्राप्त/राजकीय इण्टर कालेज) के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से एवं उपलब्ध न होने की दशा में वर्णित विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रवक्ता (इण्टर कालेज से) जो अधिकतम 68वर्ष की आयु के हो एवं भारत के निवासी हो, संविदा के आधार पर भरा जायेगा।
क	रा0 आ0 प0 वि0 गोण्डा	01	01	–	–	–				
ख	रा0 आ0 प0 वि0 विशम्भरपुर गोण्डा (केवल महिलाओं के लिए)	01	01	–	–	–				
2	प्रवक्ता (कक्षा 11 से 12)						वेतन रूपये 9300 +4800 एवं शासन द्वारा अनुमन्य महंगाई भत्ता	21	35	इन पदों को संविदा पर भरे जाने के लिए शैक्षिक अर्हता निम्नवत् होगी:– उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग सेवानियमावली 2009 में निर्धारित अर्हता के अनुसार उपरोक्त पदों को संविदा के आधार पर भरा जायेगा। संविदा पर आवश्यकतानुसार पात्र अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में सेवानिवृत्त प्रवक्ताओं को भी रखा जा सकता है, जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित इण्टरमीडिएट स्तरीय (अशासकीय सहायता प्राप्त/राजकीय इण्टर कालेज) के प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त हों एवं जो अधिकतम 68वर्ष की आयु के हों एवं भारत के निवासी हों, संविदा के आधार पर भरा जायेगा।
क	रा0 आ0 प0 वि0 गोण्डा	कुल एक पद								
	अंग्रेजी	01	–	01	–	–				
ख	रा0 बा0 आ0 प0 वि0 विशम्भरपुर, गोण्डा (केवल महिलाओं हेतु)	कुल एक पद								
	भौतिक विज्ञान	01	01	–	–	–				
3	अध्यापक एल0टी0 ग्रेड (कक्षा 6 से 10)						वेतन रूपये 9300 +4600 एवं शासन द्वारा अनुमन्य महंगाई भत्ता	21	35	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग सेवानियमावली 2009 में निर्धारित अर्हता के अनुसार उपरोक्त पदों को संविदा के आधार पर भरा जायेगा। अभ्यर्थी की सम्बन्धित विषय में प्रशिक्षित स्नातक की अर्हता होनी चाहिए।
क	रा0 आ0 प0 वि0 गोण्डा	कुल दो पद								
	अंग्रेजी	01	–	–	–	01				
	गणित	01	01	–	–	–				

4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें :–

(क) नवीनतम पासपोर्ट आकार की प्रमाणित फोटो आवेदन पत्र में बनाये गये बाक्स में चिपकाया जाए।

(ख) अपने पत्र व्यवहार का स्पष्ट पता लिखा 10×23 सेमी के आकार के दो लिफाफे जिन पर 22 रूपयें के डाक टिकट लगे हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाए।

(ग) आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र व अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा यथापर्युक्त उल्लिखित सेवानिवृत्त कर्मचारी होने की दशा में सेवानिवृत्त होने का सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण तथा सेवानिवृत्त होने से पूर्व पांच वर्षो के कार्य एवं आचरण संतोषजनक होने के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न की जाए।

5. आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पत्र का नाम अवश्य अंकित *किया जाय।*

6. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए उन्हें कोई मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

7. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने, अपूर्ण होने तथा आवेदन पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर न होने की दशा में निरस्त कर दिया जायेगा।

8. मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

9. जो अभ्यर्थी केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत है उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

10. अभ्यर्थी के अर्ह एवं अर्नह होने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

11. उपरोक्त पदों पर संविदा पर भर्ती शासनोदश संख्या–2738/26–1–2010(69)/2006 दिनांक 20 जुलाई 2010 एवं शासनोदश संख्याः 648/26–3–2015–10(1)/2015 दिनांक 25 मार्च 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

जिलाधिकारी
गोण्डा

आवश्यक दिशा–निर्देश

1. पद के समक्ष अंकित विवरण के अनुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।
2. आवेदन पत्र के साथ कोई शुल्क देय नही है।
3. उपरोक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है –
   (1) सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक रखने की दशा में उक्त पद से सेवानिवृत्ति होने का सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण एवं सेवानिवृत्त होने से पूर्व के पांच वर्षो का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहने विषयक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न करना होगा।
   (2) संविदा पर सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों से इतर अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र के साथ 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (3) संविदा के आधार पर तैनाती का कार्यकाल अधिकतम 11 माह 29 दिन के लिए होगा। नियमित चयन के फलस्वरूप पदों के भरने की स्थिति में संविदा 11 माह 29 दिन के पूर्व किसी भी समय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।
   (4) संविदा पर नियुक्त कार्मिक किसी भी प्रकार की पेंशन/स्थाईकरण के हकदार नहीं होगें। नियमित नियुक्ति का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। संविदा अवधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
   (5) चयनित अभ्यर्थी निदेशक समाज कल्याण के साथ 100 रूपयें के नान जुडीशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
   (6) संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर संविदा के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त अवधि में कार्यभार नहीं करने की दशा में संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
   (7) संविदा पर नियुक्त कार्मिक वेतन विशिष्ट राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय पर तैनात होगें। किन्हीं भी परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
   (8) संविदा किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा रकम का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
   (9) किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर अथवा विद्यालय में कार्य न करने पर प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/अध्यापकों तथा कम्पाउन्डर/नर्स की संविदा राशि से उक्त दिवस के वेतन की कटौती की जायेगी।
   (10) संविदा पर कार्यरत कार्मिक के अनुबन्ध या करार में तैनाती का आदेश दिये जाने से पूर्व संबंधित कर्मी से इस आशय का वचन पत्र लिया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही निर्धारित संविदा धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा की मांग करेंगे। इस आशय का उल्लेख अपने कार्य हेतु जारी अनुमति पत्र में कर दिया जायेगा। संविदा पर सेवाएं लेने से पूर्व संविदा को यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संविदा समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अनुमन्य न होगी।
   (11) आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।
   (12) अभ्यर्थी को अपना पता लिखा हुआ रू0 22.00 मूल्य का डाक टिकट लगा एक लिफाफा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
   (13) संविदा पर रखने का चयन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
   (14) चयन में आरक्षण विषयक शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या.................................. दिनांक...

1. आवेदित पद का नाम...

2. विद्यालय का नाम जहाँ के लिए आवेदन किया गया है..

3. अभ्यर्थी का नाम...

(अ) (हिन्दी में) (देवनागिरी लिपि में)...

(ब) अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में)...

(स) लिंग पुरूष.. महिला..

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो यहाँ चिपकायें

4. पिता/पति का नाम...

5. जन्मतिथि..

(क) 01 जुलाई 2015 को आयु वर्ष.......................................माह.................................दिन...............................

6. पता

(क) पत्र व्यवहार का पता...

(ख) स्थाई पता..

7. शैक्षिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हता के प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जायें –

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

8. अधिमानी योग्यता...

9. अभ्यर्थी के सेवानिवृत्त होने की दशा में :–

1– राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का नाम जिससे सेवानिवृत्त हुआ हो.................................

2– सेवानिवृत्त से पूर्व के पांच वर्षों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से प्रदत्त प्रमाण पत्र.... ....संलग्न है/नहीं है।

10. राज्य का नाम (आवेदक जिसका मूल निवासी है)...

11. राष्ट्रीयता...

12. आरक्षित श्रेणी/जाति का कोड...

(अनुसूचित जाति–01, अनुसूचित जनजाति–02, अन्य पिछड़ा वर्ग–03)

13. छटनीशुदा कर्मचारी है तो विभाग का नाम, सेवा की कुल अवधि...

14. यदि आप खिलाड़ी रहे हैं तो कोड दें...

(अर्न्तराष्ट्रीय स्तर–04, राष्ट्रीय स्तर–05, राज्य स्तर–06, विश्वविद्यालय/कालेज–07)

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:–

1. मैंने विज्ञप्ति में दी गई पात्रता की शर्त सावधानी पूर्वक पढ़ी है वे सभी मुझे मान्य हैं और वे शर्तें पूरा करता/करती हूँ।
2. मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाए तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त यदि ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें।

नोट – शैक्षिक, जाति, जन्मतिथि, छटनीशुदा, खेल एवं अन्य प्रमाण–पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर आवश्य संलग्न करें।

संलग्नकों की संख्या...................................

अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर
दिनांक सहित